भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 4856
दिनांक 26 मार्च, 2018

रिफाइनरी का विस्तार

4856. श्री पी. नागराजनः
डॉ. पी. वेणुगोपालः

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले के नरीमनम में मौजूदा पेट्रोलियम रिफाइनरियों के विस्तार का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विस्तार-कार्य के कब तक आरंभ होने की संभावना है तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि विनिर्दिष्ट और आबंटित की गई है;

(ख) सरकार द्वारा सितंबर, 2013 तक बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना हेतु आबंटित/व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है तथा आज तक उक्त परियोजना के निर्माण, भूमि-अधिग्रहण और डिजाइन इत्यादि के संबंध में कितनी प्रगति की गई है; और

(ग) क्या उक्त रिफाइनरी की आधारशिला दिनांक 22.09.2013 को रखी गई थी अथवा इसका उद्घाटन जनवरी, 2018 को किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) : चैन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (सीपीसीएल) और इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (आईओसी) के बोर्डों ने तमिलनाडु के नागापट्टनम जिले में नारीमानम में 1 एमएमटीपीए क्षमता की मौजूदा रिफाइनरी के स्थान पर 9 एमएमटीपीए क्षमता की रिफाइनरी के लिए पहले चरण का अनुमोदन प्रदान कर दिया है। विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) तैयार करने के लिए परियोजना पूर्व के 272 करोड़ रुपए के व्यय को भी मंजूर कर दिया गया है।

(ख): हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) ने सूचित किया है कि विन्यास संबंधी अध्ययन, विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) तैयार करने,स्टैंप ड्यूटी का भुगतान करने के लिए बाड़मेर रिफाइनरी पर सितंबर, 2013 तक खर्च की गई कुल धनराशि 8.93 करोड़ रुपए थी। हालांकि, परियोजना के लिए भूमि सितंबर, 2013 में आबंटित कर दी गई थी किंतु उस समय पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे तथा पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी और निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था।

(ग): उक्त रिफाइनरी का शिलान्यास दिनांक 22.09.2013 को किया गया था। तथापि, परियोजना के कार्यकलाप शुरू नहीं किए गए थे क्योंकि सांविधिक मंजूरियां प्राप्त नहीं हुई थीं और एचपीसीएल तथा राजस्थान सरकार (जीओआर) के बीच कुछ मुद्दे लंबित थे। बाद में, मुद्दों का समाधान करने तथा पर्यावरण संबंधी मंजूरी जैसी सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने, पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर करने और बीएस-VI ईंधनों का उत्पादन करने हेतु डीएफआर में संशोधन करने के बाद माननीय प्रधान मंत्री ने दिनांक 16.01.2018 को रिफाइनरी का कार्य शुरू करने के प्रतीक के रूप में फलक का अनावरण किया था।

****